रजि. नं. - 01/01/01/32216/17

पालक महासंघ मध्यप्रदेश

म.प्र. के अभिभावक/पालकगणों के मौलिक अधिकारों के हितों के संरक्षण हेतु संगठन

संरक्षक : माननीय श्री दीपक जोशी (पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री), श्री महेश अग्रवाल (योगगुरू), श्री अवधेश तिवारी
सलाहकार : श्री नरेन्द्र भार्गव (रिटा. अधिकारी), श्री प्रशांत शर्मा (कैरियर कांउसलर), श्री आर.के. चौरसिया (सेवानिवृत्त)

-:प्रदेश कार्यकारिणी:-

अध्यक्ष
श्री कमल विश्वकर्मा, भोपाल
मो. - 9753091995

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्रीमती सुनिती तिवारी, भोपाल
श्री नरेश जैन, भोपाल
श्री घनश्याम पवार अलीराजपुर

उपाध्यक्ष
श्री प्रमोद प्रियदर्शी भोपाल
श्री आई.ए.खान एड. आष्टा सिहोर
श्री संजीव वैद्य शिक्षाविद् इंदौर
श्री भूपेन्द्रसिंह कराना ग्वालियर
डॉ. धरणेन्द्र जैन (PHD) सागर

महासचिव
श्री प्रबोध पंड्या, भोपाल
मो.- 9893274472

सचिव
श्री दीपेश विजयवर्गीय भोपाल

संयुक्त सचिव
श्री मुकेश गुप्ता भोपाल

कोषाध्यक्ष
श्री शिव शर्मा, भोपाल

सहकोषाध्यक्ष
श्री विनोद गंगराड़े, भोपाल

मीडिया प्रभारी
श्री आर. एस. नरवर, गुना

प्रवक्ता
श्री शिवराज ओझा, भोपाल
श्री शेखर जैन, इंदौर

समन्वयक
श्री प्रीतम दांगी, विदिशा

कार्यकारणी सदस्य
श्री पराग अग्रवाल, एड.भोपाल
श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता, भोपाल
श्री एम.एल. लहरिया, विदिशा
श्री आनंद गुप्ता, इंदौर
श्री विजय देवसेना, सतना
श्री गणेश भावसार, खण्डवा
श्री रामदास राज एड., सागर

क्रमांक PMMP/BPL/00248/2025 दिनांक 17/05/2025

प्रति,

माननीय आयुक्त महोदय,
भोपाल संभाग, भोपाल।

महोदय,

हमारी संस्था स्कूल कालेज में पढ़ रहे बच्चो के हितो के संरक्षण की चिंता रखती है, तथा यह बच्चे इन्हीं स्कुल बसों का उपयोग स्कुल कालेज आने जाने के लिए करते है।

6 महीने के अधिक समय से भोपाल की सड़कों पर बिना फिटनेस बिना बीमा के दौड़ रही स्कूली बस ने आठ से अधिक वाहनों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को घायल करने के बाद एक युवा महिला डॉक्टर की मौत को भी अपना शिकार बना दिया।

उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या स्थिति को देखते हुए कमिश्नर भोपाल ने आरटीओ भोपाल जितेन्द्र शर्मा को निलम्बित करते हुए उसे आयुक्त कार्यालय में अटेच कर दिया।

कमिश्नर को पूर्ण अधिकार है कि सेकंड क्लास अधिकारी या उससे नीचे के क्लास के अधिकारी को वह निलंबित कर सकता है।

निलंबित किया जाना एक अस्थाई, अंतरिम प्रक्रिया है, जो जांच की अवधि के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ताकि साक्ष्य प्रभावित न किये जा सके, इस प्रकरण की विस्तृत जांच की जाना लम्बित / आवश्यक है।

फिटनेस के रिकॉर्ड का संधारण आरटीओ के द्वारा किया जाता है, बसों के फिटनेस की समाप्ति की जानकारी भी आरटीओ को होती है, परन्तु उसने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है।

आरटीओ स्वयं ही उड़न दस्ते का प्रभारी भी है, अगर फिटनेस किसी वाहन का समाप्त हुआ था, तो उसकी जांच की जाना तथा रोकना भी इसी की जिम्मेदारी थी।

रजि. नं. - 01/01/01/32216/17

पालक महासंघ मध्यप्रदेश

म.प्र. के अभिभावक/पालकगणों के मौलिक अधिकारों के हितों के संरक्षण हेतु संगठन

संरक्षक : माननीय श्री दीपक जोशी (पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री), श्री महेश अग्रवाल (योगागुरू), श्री अवधेश तिवारी
सलाहकार : श्री नरेन्द्र भार्गव (रिटा. अधिकारी), श्री प्रशांत शर्मा (कैरियर कांउसलर), श्री आर.के. चौरसिया (सेवानिवृत्त)

-:प्रदेश कार्यकारिणी:-

अध्यक्ष
श्री कमल विश्वकर्मा, भोपाल
मो. - 9753091995

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्रीमती सुनिति तिवारी, भोपाल
श्री नरेश जैन, भोपाल
श्री घनश्याम पवार अलीराजपुर

उपाध्यक्ष
श्री प्रमोद प्रियदर्शी भोपाल
श्री आई.ए.खान एड. आष्टा सिहोर
श्री संजीव वैद्य शिक्षाविद् इंदौर
श्री भूपेन्द्रसिंह कराना ग्वालियर
डॉ. धरणेन्द्र जैन (PHD) सागर

महासचिव
श्री प्रबोध पंड्या, भोपाल
मो.- 9893274472

सचिव
श्री दीपेश विजयवर्गीय भोपाल

संयुक्त सचिव
श्री मुकेश गुप्ता भोपाल

कोषाध्यक्ष
श्री शिव शर्मा, भोपाल

सहकोषाध्यक्ष
श्री विनोद गंगराड़े, भोपाल

मीडिया प्रभारी
श्री आर. एस. नरवर, गुना

प्रवक्ता
श्री शिवराज ओझा, भोपाल
श्री शेखर जैन, इंदौर

समन्वयक
श्री प्रीतम दांगी, विदिशा

कार्यकारणी सदस्य
श्री पराग अग्रवाल, एड.भोपाल
श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता, भोपाल
श्री एम.एल. लहरिया, विदिशा
श्री आनंद गुप्ता, इंदौर
श्री विजय देवरोना, सतना
श्री गणेश भावसार, झाबुआ
श्री रामदास राज एड., सागर

क्रमांक ....   दिनांक..................

कार्य बाधित न हो इस कारण शासन के द्वारा एक अन्य समकक्ष अधिकारी रितेश तिवारी को भोपाल आरटीओ कार्यालय का अतिरिक्त प्रभाव सोपा गया है।

पूर्व आरटीओ जितेन्द्र शर्मा जब से भोपाल में पदस्थ हुए है तब से वह विवादों में घिरे रहते है, इसके विरुद्ध कई बार अखबारों तथा सोशल मिडिया में इसके द्वारा भारी रिश्वत लिए जाने तथा जनता को परेशान किये जाने की खबरे छापी जा चुकी है।

विगत वर्ष गुना में इसी प्रकार की एक घटना में 13 लोगों की मौत हुई थी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे थे वाहन मालिक ड्राइवर तथा अन्य के अलावा गुना जिला परिवहन अधिकारी बरोलिया को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था।

इस बात की जानकारी मिली है कि पूर्व आरटीओ जितेन्द्र शर्मा के निलम्बन को समाप्त करवाए जाने की कवायद कई प्रभावी लोगों के द्वारा की जा रही है, साथ ही परिवहन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भी शासन को हडताल की धमकी भी दी जा चुकी है।

इस आधार पर हमारी मांग है कि पूर्व आरटीओ जितेन्द्र शर्मा के निलम्बन को समाप्त नहीं किया जाए तथा इसको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, तथा इसकी जांच जल्द पूरी कर इसको बर्ख्वास्त किये जाने की कृपा किया जाना चाहिए।

प्रतिलिपि :-

1. माननीय परिवहन आयुक्त,
   केम्प कार्यालय, अरेरा कालोनी, भोपाल।
2. माननीय उप परिवहन आयुक्त, शिकायत,
   केम्प कार्यालय, अरेरा कालोनी, भोपाल।

भवदीय

प्रबोध पंड्या
महासचिव

अच्छी शिक्षा-सस्ती शिक्षा-सबको शिक्षा
प्रदेश कार्यालय:-प्लाट नं. DK- 3/22, एस.बी.आई.बैंक के सामने, दानिशकुंज कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)-462042
M: palakmahasangh@yahoo.in X :palakmahasangh f : palakmahasangh